



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

संजय भा. गवई
कुलसचिव
SANJAY B. GAWAI
Registrar

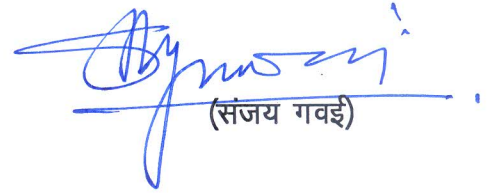
दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602
मो. / 09545335522

क्रमांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02-157 / 2014
दिनांक : 24 जनवरी, 2015

सूचना

समस्त विद्यार्थियों, शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक कर्मियों को सूचित किया जाता है कि कस्तुरबा हेल्थ सोसायटी, सेवाग्राम द्वारा संचालित परिवार स्वास्थ्य सेवा वार्षिक पंजीकरण 2015 के अंतर्गत विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थी, शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक कर्मियों का संस्थागत स्वास्थ्य योजना में पंजीकरण कराने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत संस्थागत रियायत कार्ड बनवाने के लिए विद्यार्थियों, शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक कर्मियों से रु 80/- प्रति सदस्य शुल्क लिया जाएगा। शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक कर्मियों के पारिवारिक सदस्य (कुल संख्या 5 से ज्यादा न हो) इसमें शामिल किए जा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 1 वर्ष के लिए कस्तुरबा रुग्णालय, सेवाग्राम में उपचार के लिए 50% रियायत की सुविधा दी जाएगी।

निवेदन है कि जिनकों इस योजना के तहत संस्थागत बीमा नहीं कराना है वे अनिवार्य रूप से दिनांक 28 जनवरी, 2015 तक वित्त विभाग को लिखित में सूचित करें। जिनसे कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है वे इस योजना के तहत बीमा कराने के इच्छुक हैं यह समझा जाएगा और उनके छात्रवृत्ति/वेतन से प्रति सदस्य रु 80/- के हिसाब से शुल्क की कटौती की जाएगी।


(संजय गवई)

प्रति,

समस्त विभाग/कार्यालय/छात्रावास /सूचना पट्ट (ई-मेल द्वारा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. कुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि, वर्धा
2. प्रतिकुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि, वर्धा
3. वित्त विभाग, म.गां.अं.हिं.वि, वर्धा
4. विश्वविद्यालय वेबसाइट
5. संबंधित पत्रावली